

अध्यक्ष, वाणिज्य कर अधिकरण, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।  
आदेशांक-वा0क0अधि0/पू0पी0ग0)/ /18, दिनांक : 20 :जुलाई-2018,

--: आदेश :-

उत्तर प्रदेश वैट नियमावली-2008 के नियम 64(3) में निहित शक्तियों के अधीन माह सितम्बर-2018 में दिनांक 17.09.18, 18.09.18 व 19.09.18 तक पूर्ण पीठ के वादों के निस्तारण हेतु मुख्यालय पर पूर्ण पीठ गठित की जाती है।

ह0-20.7.18

( विकार अहमद अन्सारी )

एच0जे0एस0,

अध्यक्ष, वाणिज्य कर अधिकरण  
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

पृष्ठांकन - वा0क0अधि0/पू0पी0ग0/1612 /2018, तद्दिनांकित  
प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

- 1-कमिश्नर, वाणिज्यकर, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
- 2-मुन्सरिम/वरिष्ठ सहायक (यात्रा भत्ता/विवरण/कम्प्यूटर) मुख्यालय।
- 3-सम्बन्धित अधिवक्ता संघ के अध्यक्ष/सचिव।

माननीय अध्यक्ष महोदय की आज्ञा से,



20.7.2018

निवचक

वाणिज्य कर अधिकरण  
लखनऊ